न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 11/19 GCMS NO 2019/00017

गोपाल पुत्र मूलचंद जाति छीपी निवासी वजीरपुर तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

..........अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

.... रैस्पोडेन्ट

(अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.17 मु0नं0 156/13 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री मो0इस्लाम खान
अभिभाषक रैस्पो0 पैरोकार सरकार

दिनांक 30.09.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/ वादी तहसीलदार वजीरपुर ने वाद पत्र धारा 177 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा खसरा न0 5611/3464 रकबा 0.0331 है0 ग्राम वजीरपुर मे भूमि रकबा 224 वर्गमीटर मे बिना भूमि की किस्म परिवर्तन करायें मोबाईल टावर लगा दिया। खातेदार द्वारा खातेदारी शर्तो की अवहेलना की गई है। खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो की अवहेलना की गई है। इस प्रकार अपीलांट को बेदखल कर भूमि को सिवायचक दर्ज की जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया रैस्पो0 को नोटिस जारी किये, तहत रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगणो की सुनी गई ।

अपीलाट के योग्य अभिभाषक ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बहस अपील में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सामग्री का सही विवेचन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु कय की है, जिसकी रजिस्ट्री अपीलार्थी [illegible] दिनांक 13.2.08 को तहसील वजीरपुर मे कराई गई है। जहॉ पहले से ही भूमि वाणिज्यिक [illegible] कय की गई हो तो खातेदारी शर्तो की अवहेलना का प्रश्न ही पैदा [illegible] भूमि पर उसका वाणिज्यिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:23:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रयोजन किये जाने पर खातेदारी शर्तो की अवहेलना माना जावेगा। उक्त भूमि वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि जो आर्डर प्रारंभ से ही शून्य है उसके लिए कोई मियाद लागू नही होती है। उसे कभी भी चेलेन्ज किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.6.17 का है लेकिन उक्त ओदश पर अपीलार्थी से यह कहकर हस्ताक्षर कराये गये थे कि उक्त पत्रावली को निरस्त किया जा रहा है। लेकिन बाद मे राजस्व अभियान मे उस पर गलत रूप से धारा 177 आर टी एक्ट के दावे को डिक्री कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह सशर्त आदेश पारित किया गया है जिसमे एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। जो न्यायिक सिद्वान्त की परिभाषा मे नही आता है।।इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार ने अपील बहस मे बताया कि अपीलांट द्वारा खसरा न0 5611/3464 रकबा 0.0331 है0 ग्राम वजीरपुर मे भूमि रकबा 224 वर्गमीटर मे बिना भूमि की किस्म परिवर्तन करायें मोबाईल टावर लगा दिया। खातेदार द्वारा खातेदारी शर्तो की अवहेलना की गई है। खातेदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो की अवहेलना की गई है। इस कारण ही तहसीलदार वजीरपुर द्वारा अपीलांट के विरूद्व धारा 177 आर टी एक्ट के तहत अधिनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय पारित कियाा गया है। अपीलांट द्वारा दिनांक 30.6.17 को विवादित भूमि को कनवर्जन का आवेदन संबंधित कार्यालय मे पेश करने का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है जो शामिल पत्रावली है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अध्ययन से यह तथ्य सामने आये कि खसरा न0 5611/3464 रकबा 0.0331 है0 ग्राम वजीरपुर मे भूमि रकबा 224 वर्गमीटर मे बिना भूमि की किस्म परिवर्तन करायें मोबाईल टावर लगा दिया जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी नियमो की अवहेलना मानी जाने के फलस्वरूप सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये है परन्तु अपीलांट अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया गया है कि विवादित आराजीयात को अपीलांट द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है इस कारण खातेदारी के प्रावधानो की अवहेलना का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अपीलांट द्वारा दिनांक 13.2.08 को तहसील कार्यालय वजीरपुर मे उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाने का कथन किया गया है। अपीलांट का कथन रहा कि भूमि पर लगाये गये टावर की भूमि को अपीलांट रूपान्तरित कराने हेतु प्रयासरत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह सशर्त आदेश पारित किया गया है जिसमे एक निश्चित समय सीमा निर्धारित की गई है। जो न्यायिक परिपेक्ष्य मे उचित प्रतीत नही होता है। इस प्रकार अपीलांट के इस मत से मै सहमत हूँ। अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.6.17 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो [illegible] प्रतिप्रेषित किया जाता है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:23:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रकरण मे अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत का पर्याप्त समय दिया जाकर गुणावगुण के आधार पर पुनःनिर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.9.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30/9/24

(लक्ष्मीकांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 14:23:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner